संख्या ई.डी.एन.–सी–बी(2)–1/99–11
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (प्रार0शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश शिमला 171001.

दिनांकः शिमला–2, 16 अगस्त,2011.

विषयः **हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत 31.03.2011 को 8वर्ष पूर्ण कर चुके ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित करने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 31–03–2011 को 8वर्ष पूर्ण कर चुके ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था तथा सरकार ने विचारोपरान्त इन्हें तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्त पर नियमित करने का निर्णय लिया हैः–

1. जिन्होंने 10+2 परीक्षा 50 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण की है, उन्हें जे0बी0टी0 के पद पर नियमित कर दिया जाये।

2. जिन्होंने 10+2 परीक्षा 50 प्रतिशत से कम अंकों में उत्तीर्ण की है परन्तु स्नातक (graduation) कर लिया है को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर उन्हें जे0बी0टी0 के पद पर नियमित कर दिया जाये।

3. जिन्होंने10+2 में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैउनको भी नियमित कर लिया जाये परन्तु उन्हें वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वह भविष्य में 10+2 में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करते है या स्नातक (graduation) की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करते हैं।

उपरोक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को तुरन्त सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अवर सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि दिनांक शिमला–2, 16 अगस्त,2011.

प्रतिलिपि विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0सरकार शिमला–2 को मन्त्री मण्डल की बैठक दिनांक 8.8.2011 की (मद संख्याः9) के संदर्भ में प्रेषित है।